

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध अग्रिम जमानत याचिका अंतर्गत/धारा 482 बीएनएसएस सं०.-****934 वर्ष 2026**

दया राम @ दया राम मौर्य

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख सचिव गृह लखनऊ के माध्यम से

और एक अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता : शुभम तिवारी, विनोद कुमार पांडेप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा. अधि., बृजेश कुमार सिंह

न्यायालय सं०. - 11**माननीय न्यायमूर्ति, राजीव सिंह**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. यह जमानत याचिका प्रार्थी की ओर से प्र.सू.रि. सं०. 37 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 115(2), 351(3), 105 बीएनएस और धारा 3(2)(v) एससी/एसटी अधिनियम, थाना हलियापुर, जिला सुल्तानपुर में, अग्रिम जमानत के लिए दायर की गई है।
3. प्रार्थी के अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रार्थी को वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 05.04.2026 को घटित हुई थी। उसमें यह भी आरोप लगाया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया है कि घटना के बाद, घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से तर्क दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कथित घटना के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल लाया गया था। यह भी निवेदन है कि दिनांक 21.05.2026 के पूर्व आदेश के अनुपालन में, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष मेडिको-लीगल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिससे ज्ञात होता है कि घायल को 07.04.2026 को अस्पताल लाया गया था। यह पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि दो दिनों, यानी 05.04.2026 से 07.04.2026 तक का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, यह आश्वासन देते हुए कि प्रार्थी जांच में सहयोग करेगा, निवेदन करते हैं कि प्रार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और पुलिस इस वर्तमान मामले में गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, जबकि हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, प्रार्थी अग्रिम जमानत के प्रावधानों के अंतर्गत इस न्यायालय से संरक्षण का अधिकारी है।

4. विद्वान ए.जी.ए. और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी की याचिका का पुरजोर विरोध किया, लेकिन वे उक्त दो दिनों कि दो दिनों, यानी 05.04.2026 से 07.04.2026 तक के दौरान घायलों की स्थिति स्पष्ट करने में असमर्थ हैं।

5. मैंने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान ए.जी.ए. और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है तथा प्र.सू.रि., जमानत आवेदन और अन्य संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. कारणों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रार्थी अंतरिम जमानत देने का आधार बनता है। अतः, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका को इस निर्देश के साथ अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि सक्षम न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 173(2) के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए जाने तक, उक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्र.सू.रि में संलिप्त प्रार्थी - दया राम उर्फ दया राम मौर्य - की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी की संतुष्टि के आधार पर, 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- i. प्रार्थी स्वयं को पूछताछ या किसी भी तथ्य की विवेचना पुलिस अधिकारी/विवेचक द्वारा आवश्यकतानुसार बुलाए जाने पर उपस्थित रहेगा और विवेचना में सहयोग करेगा।
 - ii. प्रार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो सके अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके।
 - iii. प्रार्थी को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
 - iv. प्रार्थी को अपना पासपोर्ट विचारण न्यायालय में जमा करना होगा और यदि उसे कोई पासपोर्ट जारी नहीं किया गया है, तो इस संबंध में उसके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जाएगा।
7. उपर्युक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और विद्वान अवर न्यायालय इस मामले में जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(राजीव सिंह, न्यायमूर्ति)

जून 10, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।